# झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015
**(सभा द्वारा यथापारित)**

**विषय–सूची**

धाराएँ


1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ
2. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2005
   (झारखण्ड अधिनियम, 05,2006) की धारा–2 में संशोधन।
3. धारा–18 में संशोधन
4. धारा–57 में संशोधन
5. धारा–74 में संशोधन
6. धारा–80 में संशोधन

# झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015
(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित–कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ–

(i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
(iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

**2. धारा 2 में संशोधन –**

धारा– 2 की कंडिका (**xxix**) में शब्द ' वस्तुओं की खरीद' के पश्चात एवं 'व्यापार के कम में' के पूर्व शब्द 'अर्थात लाभ–हानि लेखा से पृथक किए गए कय' जोड़ा जाएगा।

**3. धारा 18 में संशोधन –**

(क) उपधारा (4) की कंडिका (**iii**) में, शब्द 'व्यापार एवं वाणिज्य' के पश्चात 'केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 74, 1956) की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पड़ने वाले' जोड़ा जाएगा।

(ख) उपधारा (8) की कंडिका (**ix**) में, विद्यमान परन्तुक में, शब्द 'से अधिक' के पश्चात अंक 4 प्रतिशत को 5 प्रतिशत से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ग) विद्यमान उपधारा (8) में, कंडिका (**xiv**) के पश्चात एवं एक नई कंडिका (**xv**) निम्नवत् जोड़ी जायेगी:-

'केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम–74, 1956) की धारा 18 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पड़ने वाले अन्तर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के कम में ऐसी वस्तुओं की बिकी हेतु मालों के कय पर या अन्य मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त तथा बिकी किए गए मालों पर '

(घ) विद्यमान उपधारा (8) में, कंडिका (**xv**) के पश्चात एवं एक नई कंडिका (**xvi**) निम्नवत् जोड़ी जायेगी।

'खोई या विनिष्ट वस्तु एवं जिसकी बिकी न की गई हो'।

(ड़) विद्यमान उपधारा (8) में, कंडिका (**xvi**) के पश्चात एक नई कंडिका (**xvii**) निम्नवत् जोड़ी जायेगी।

'यदि मालों के कय पर इनपुट टैक्स केडिट की राशि उन्ही मालों के मामले में इस अधिनियम के अन्तर्गत वास्तविक रूप से सरकारी कोषागार में भुगतान किए गए कर राशि, यदि कोई हो, से अधिक हो रहा हो ।

4. **धारा 57 में संशोधन** – धारा 57 की उपधारा (1) में शब्द समूह ' कोई बिकी या कय' के पश्चात शब्द ' किसी वस्तु समूह को' जोड़ा जाएगा।

5. **धारा 74 में संशोधन** – विद्यमान धारा 74 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा–

'इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली तथा स्वचालन के उदेश्यों की पूर्ति हेतु आयुक्त ई–गवर्नेस के उदेश्य से समय–समय पर मापदण्ड तथा दिशा निर्देश का निर्धारण करेंगे।'

6. **धारा 80 में संशोधन** – धारा 80 की उपधारा (4) में विद्यमान परंतुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा –

'बशर्त्ते इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित कर–निर्धारण या शास्ति या दोनों के विरूद्ध दायर पुनरीक्षणवाद में आयुक्त निर्धारित कर राशि या शास्ति या दोनों का अधिकतम 10 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु संबंधित व्यवसायी / व्यक्ति को निदेशित कर सकते हैं।'

यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 मार्च, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

---------